भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2688

11 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन

2688. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान मुंबई तथा महाराष्ट्र सहित कितने राज्यों ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से अतिरिक्त खाद्यान्न की मांग की है और आपूर्ति किए गए खाद्यान्न की दर सहित स्वीकृत और अस्वीकृत किए गए ऐसे सभी अनुरोधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा घरेलू और वैश्विक खुले बाजार में बेचे गए प्रत्येक प्रकार के अनाज की मात्रा और मूल्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में सड़ने वाले खाद्यान्न की मात्रा कितनी है;

(घ) गोदामों के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता है और वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम के पास कितना क्षेत्र उपलब्ध है तथा आवश्यक गोदामों के संदर्भ में क्या योजना है

(ड.) क्या सरकार मुम्बई सहित महाराष्ट्र राज्य में मौजूदा खाद्यान्न गोदामों और खाद्यान्न के नए गोदाम खोलने के संबंध में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में चिह्नित किए गए जिलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), प्राकृतिक आपदाओं, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति और त्योहारों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त खाद्यान्न (नियमित आबंटन के अतिरिक्त) आबंटित करता है, जो दिनांक 22.08.2017 के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर होता है। खाद्यान्न के अतिरिक्त आवंटन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत और अस्वीकृत अनुरोधों (महाराष्ट्र सहित) का विवरण **अनुबंध-I** के अनुसार है।

...2/-

(ख): बफर स्टॉकिंग मानदंडों से अधिक स्टॉक को अपलोड करने और कीमतों को नियंत्रित करने हेतु एफसीआई खुला बाजार विक्रय योजना (घरेलू) {(ओएमएसएस (डी)} के तहत खाद्यान्नों की बिक्री करता है। वर्ष 2020-21 से 2024-25 (आज तक) तक ओएमएसएस (घ) के तहत आरक्षित मूल्य के साथ एफसीआई द्वारा बेची गई गेहूं और चावल की मात्रा का राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** और **अनुबंध-III** के अनुसार है।

(ग): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत सम्पूर्ण वर्ष वितरण हेतु लंबी अवधि तक अधिक मात्रा में खाद्यान्नों का भंडारण/प्रबंधन कर रहा है तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु देश के लिए बफर और रणनीतिक भंडार बनाए रखता है। इन भंडारों में से, नगण्य मात्रा में खाद्यान्न नष्ट हो जाते है जो मुख्यतः चक्रवात/बाढ़/वर्षा आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।

विगत पांच वर्षों में क्षतिग्रस्त खाद्यान्न का उपार्जन:

वर्ष	क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की उपार्जित मात्रा (लाख टन में)	उठान की मात्रा (लाख टन में)	उठान की मात्रा के विपरीत क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का प्रतिशत
2019-20	0.019	455.130	0.004
2020-21	0.018	688.566	0.003
2021-22	0.017	766.081	0.002
2022-23	0.016	675.826	0.002
2023-24	0.103	470.71	0.022
2024-25 (दिनांक 01.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार)	0.031	234.93	0.013

(घ): मैदानी क्षेत्रों में मानक 5000 टन गोदाम परिसर के निर्माण के लिए आवश्यक क्षेत्र लगभग 2.98 एकड़ है। गोदाम परिसर के लिए भंडारण क्षमता और अन्य बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं के आधार पर क्षेत्र की आवश्यकता बढ़ जाती है। केंद्रीय पूल स्टॉक की कुल भंडारण क्षमता (दिनांक 01.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार) 776.49 लाख टन है जिसमें एफसीआई के पास 409.74 लाख टन और राज्य एजेंसियों के पास 366.75 लाख टन शामिल है।

(ड.) और (च): एफसीआई में भंडारण क्षमता की आवश्यकता खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) संचालन पर निर्भर करती है। एफसीआई सतत रूप से भंडारण क्षमता का आकलन और निगरानी करता है तथा आवश्यकता और भंडारण के अंतराल के आकलन के आधार पर, महाराष्ट्र सहित सम्पूर्ण भारत में निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमताएं निर्मित/किराए पर ली जाती हैं:-

...3/-

1. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत साइलो का निर्माण
2. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना
3. केंद्रीय क्षेत्र योजना "भंडारण और गोदाम"
4. केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना
5. निजी भंडारण योजना (पीडब्ल्यूएस)
6. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण

*****

लोक सभा में दिनांक 11.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2688 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-I

त्यौहार, प्राकृतिक आपदा, राहत आदि के लिए अतिरिक्त आबंटन (हजार टन में)							
अवधि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल	गेहूं	कुल	केन्द्रीय जारी लागत	के किए आबंटन हेतु अनुरोध	अनुरोध की स्थिति
वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए	असम	91.080	60.000	151.080	आर्थिक लागत	चाय बागान श्रमिक	स्वीकृत
	महाराष्ट्र	53.910	93.084	146.994	आर्थिक लागत	एपीएल किसान (अक्टूबर-20 से मार्च-20)	स्वीकृत
	मिजोरम	60.000	0.000	60.000	आर्थिक लागत	अतिरिक्त आवश्यकता	स्वीकृत
	महाराष्ट्र	0.215	0.215	0.43	लागू नहीं	बाढ़ और भारी वर्षा	अस्वीकृत
	त्रिपुरा	1.018	0.000	1.018	आर्थिक लागत	ब्रू प्रवासियों के लिए (अगस्त-20 से सितंबर-20)	स्वीकृत
		1.527	0.000	1.527		ब्रू प्रवासियों के लिए (अक्टूबर-20 से दिसंबर-20)	स्वीकृत
		1.527	0.000	1.527		ब्रू प्रवासियों के लिए (जनवरी-21 से मार्च-21)	स्वीकृत
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए	असम	91.080	60.000	151.080	आर्थिक लागत	चाय बागान श्रमिकों के लिए	स्वीकृत
	उत्तराखंड	1.815	1.815		न्यूनतम समर्थन लागत	कुंभ मेला 2021 के लिए	स्वीकृत
	महाराष्ट्र	44.544	76.962	121.506	आर्थिक लागत	एपीएल किसान (अप्रैल-21 से अगस्त-21)	स्वीकृत
	महाराष्ट्र	0.215	0.215	0.43	लागू नहीं	बाढ़ और भारी वर्षा	अस्वीकृत
	त्रिपुरा	2.545	0.000	2.545	आर्थिक लागत	ब्रू प्रवासियों के लिए (अप्रैल-21 से अगस्त-21)	स्वीकृत

		1.527	0.000	1.527		ब्रू प्रवासियों के लिए (जनवरी-22 से मार्च-22)	स्वीकृत
वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए	असम	91.080	60.000	151.080	आर्थिक लागत	चाय बागान श्रमिकों के लिए	स्वीकृत
	मणिपुर	0.00	0.50	0.50	लागू नहीं	त्योहार	अस्वीकृत
	त्रिपुरा	1.527	0.000	1.527	आर्थिक लागत	ब्रू प्रवासियों के लिए (अप्रैल-22 से जून-22)	स्वीकृत
		3.054	0.000	3.054		ब्रू प्रवासियों के लिए (जुलाई-22 से अगस्त-22)	स्वीकृत
		1.527	0.000	1.527		ब्रू प्रवासियों के लिए (जनवरी-23 से मार्च-23)	स्वीकृत
वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए	असम	91.080	60.000	151.080	आर्थिक लागत	चाय बागान श्रमिकों के लिए	स्वीकृत
	जम्मू एवं कश्मीर	0.160	0.060	0.220	एमएसपी व्युत्पन्न दर	अमरनाथ यात्रा 2023	स्वीकृत
		0.060	0.020	0.080	एमएसपी व्युत्पन्न दर	अमरनाथ यात्रा 2023	स्वीकृत
	महाराष्ट्र	21.993	37.965	59.958	आर्थिक लागत	एपीएल किसान (जनवरी-24 से मार्च-24)	स्वीकृत
	मणिपुर	30.000	0.000	30.000	एमएसपी व्युत्पन्न दर और ओएमएसएस-डी दर	3 महीने के लिए कानून और व्यवस्था की स्थिति	स्वीकृत
	सिक्किम	0.102	0.000	0.102	एमएसपी व्युत्पन्न दर	बाढ़ राहत	स्वीकृत
	त्रिपुरा	1.527	0.000	1.527	आर्थिक लागत	ब्रू प्रवासियों के लिए (अप्रैल-23 से जून-23)	स्वीकृत
		1.527	0.000	1.527		ब्रू प्रवासियों के लिए (जनवरी-24 से मार्च-24)	स्वीकृत
वित्तीय वर्ष 2024-	असम	91.080	60.000	151.080	आर्थिक लागत	चाय बागान श्रमिकों के लिए	स्वीकृत

2025 के लिए	त्रिपुरा	1.527	0.000	1.527	आर्थिक लागत	ब्रू प्रवासियों के लिए (अप्रैल-24 से जून-24)	स्वीकृत
		1.527	0.000	1.527		ब्रू प्रवासियों के लिए (जुलाई-24 से सितंबर-24)	स्वीकृत
		1.527	0.000	1.527		ब्रू प्रवासियों के लिए (अक्टूबर-24 से दिसंबर-24)	स्वीकृत
	जम्मू एवं कश्मीर	0.350	0.150	0.500	एमएसपी व्युत्पन्न दर	अमरनाथ यात्रा 2024	स्वीकृत
	मणिपुर	1.085	0.000	1.085	एमएसपी व्युत्पन्न दर	3 महीने के लिए कानून और व्यवस्था की स्थिति	स्वीकृत
	मिजोरम	0.675	0.000	0.675	एमएसपी व्युत्पन्न दर	प्राकृतिक आपदाओं, सामाजिक और राजनीतिक अशांति से प्रभावित विस्थापित व्यक्तियों के लिए भोजन का प्रावधान	स्वीकृत
		0.704	0.000	0.704	आर्थिक लागत		स्वीकृत
	उत्तर प्रदेश	4.000	0.667	4.667	एमएसपी व्युत्पन्न दर	महाकुंभ-2025 के लिए	स्वीकृत

*****

लोक सभा में दिनांक 11.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2688 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-IIक

वर्ष 2020-21 के दौरान ओएमएसएस (डी) के तहत गेहूं की बिक्री					
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**थोक ख़रीदार**	**राज्य सरकार**	**कुल (आकडे टन में)**	**आरक्षित मूल्य**
1.	दिल्ली	0	39645	39645	पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से बिक्री हेतु आरएमएस 2020-21 के लिए गेहूं का आरक्षित मूल्य 2080 रुपये प्रति क्विंटल है।
2.	चंडीगढ़	27240	0	27240	
3.	पंजाब	841073	2090	843163	
4.	हरियाणा	216546	0	216546	
5.	उत्तर प्रदेश	12334	70	12404	
6.	उत्तराखंड	1387	0	1387	
7.	हिमाचल प्रदेश	1951	0	1951	
8.	जम्मू एवं कश्मीर	0	36373	36373	
9.	राजस्थान	338	392	730	
10.	तमिलनाडु	1310	950	2260	
11.	केरल	400	35365	35765	
12.	कर्नाटक	0	264854	264854	
13.	अंडमान और निकोबार	18	0	18	
14.	तेलंगाना	0	0	0	
15.	बिहार	1270	0	1270	
16.	पश्चिम बंगाल	870	980917	981787	
17.	झारखंड	1131	0	1131	
18.	असम	3020	0	3020	
19.	महाराष्ट्र	268	9551	9819	
20.	गोवा	0	0	0	
21.	मध्य प्रदेश	5100	0	5100	
22.	छत्तीसगढ	40	0	40	
23.	गुजरात	20	47983	48003	
कुल		**1114316**	**1418190**	**2532506**	

लोक सभा में दिनांक 11.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2688 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-IIख

वर्ष 2021-22 के दौरान ओएमएसएस (डी) के तहत गेहूं की बिक्री (आंकड़े टन में)					
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य सरकार		थोक		
	ई-नीलामी	बिना ई-नीलामी के	ई-नीलामी	कुल	आरक्षित मूल्य
दिल्ली	0.00	16609.00	18440	35049.00	उचित एवं औसत गुणवत्ता वाले गेहूं के लिए: 2150 रुपये प्रति क्विंटल।
चंडीगढ़	0.00	0.00	28330	28330.00	
पंजाब	0.00	6109.00	1907940	1914049.00	
हरियाणा	0.00	0.00	2173699	2173699.00	
उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	26115	26115.00	
उत्तराखंड	0.00	0.00	300	300.00	
राजस्थान	0.00	0.00	24100	24100.00	
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	2720	2720.00	
जम्मू एवं कश्मीर	17010.00	2810.00	10180	30000.00	
तमिलनाडु	950.00	0.00	321910	322860.00	
पुदुचेरी	0.00	0.00	13270	13270.00	
केरल	9690.00	0.00	55270	64960.00	
आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0	0.00	
तेलंगाना	0.00	0.00	2840	2840.00	
अंडमान एवं निकोबार	0.00	4.00	0	4.00	
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0	0.00	
कर्नाटक	7480.00	23307.00	354670	385457.00	
बिहार	0.00	0.00	7000	7000.00	
पश्चिम बंगाल	975550.00	38582.00	155690	1169822.00	
सिक्किम	0.00	0.00	0	0.00	
उड़ीसा	0.00	0.00	9840	9840.00	
झारखंड	0.00	0.00	9850	9850.00	
असम	0.00	0.00	33830	33830.00	
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0	0.00	
मेघालय	0.00	0.00	0	0.00	
त्रिपुरा	0.00	0.00	0	0.00	
मिजोरम	0.00	0.00	0	0.00	
नगालैंड	0.00	0.00	0	0.00	
मणिपुर	0.00	0.00	0	0.00	
महाराष्ट्र	0.00	0.00	188700	188700.00	
गोवा	500.00	0.00	20150	20650.00	
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	342990	342990.00	
छत्तीसगढ	0.00	0.00	11860	11860.00	
गुजरात	0.00	6974.00	212540	219514.00	
दमन और दीव	0.00	0.00	0	0.00	
दादरा नगर एवं हवेली	0.00	0.00	0	0.00	
कुल	**1011180.00**	**94395.00**	**5932234**	**7037809.00**	

लोक सभा में दिनांक 11.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2688 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-IIग

वर्ष 2022-23 के दौरान ओएमएसएस (डी) के तहत गेहूं की बिक्री (आंकड़े टन में)				
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य सरकार बिना ई–नीलामी के	थोक ई-नीलामी	कुल	आरक्षित मूल्य
दिल्ली	0	61960	61960	उचित एवं औसत गुणवत्ता वाले गेहूं के लिए आरक्षित मूल्य 2225 रुपये प्रति क्विंटल है।
चंडीगढ़	0	0	0	
पंजाब	0	823421	823421	
हरियाणा	0	99130	99130	
उत्तर प्रदेश	0	170090	170090	
उत्तराखंड	0	28320	28320	
राजस्थान	790	203710	204500	
हिमाचल प्रदेश	0	11480	11480	
जम्मू एवं कश्मीर	354	50310	50664	
तमिलनाडु	0	154490	154490	
पुदुचेरी	0	0	0	
केरल	0	71735	71735	
आंध्र प्रदेश	0	9050	9050	
तेलंगाना	0	23200	23200	
अंडमान और निकोबार	0	0	0	
लक्षद्वीप	0	0	0	
कर्नाटक	0	102810	102810	
बिहार	0	241470	241470	
पश्चिम बंगाल	0	229040	229040	
सिक्किम	0	0	0	
उड़ीसा	0	95550	95550	
झारखंड	0	84590	84590	
असम	0	83000	83000	
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	
मेघालय	0	0	0	
त्रिपुरा	0	0	0	
मिजोरम	0	9450	9450	
नगालैंड	0	0	0	
मणिपुर	0	0	0	
महाराष्ट्र	0	306180	306180	
गोवा	0	0	0	
मध्य प्रदेश	0	401459	401459	
छत्तीसगढ	0	23232	23232	
गुजरात	0	95740	95740	
दमन और दीव	0	0	0	
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	
कुल	**1144**	**3379417**	**3380561**	

लोक सभा में दिनांक 11.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2688 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-IIघ

वर्ष 2023-24 के दौरान ओएमएसएस (डी) के तहत गेहूं की बिक्री (आंकड़े टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	थोक ई–नीलामी	भारत ब्रांड	कुल
दिल्ली	330820	56677	387497
चंडीगढ़	0		0
पंजाब	841780	17963	859743
हरियाणा	725020	117434	842454
उत्तर प्रदेश	1405650	147048	1552698
उत्तराखंड	259930	29100	289030
राजस्थान	752675	44223	796898
हिमाचल प्रदेश	133730	200	133930
जम्मू एवं कश्मीर	232790	4941	237731
तमिलनाडु	204340	2900	207240
पुदुचेरी	0	0	0
केरल	74180		74180
आंध्र प्रदेश	72910	12653	85563
तेलंगाना	137420	16868	154288
अंडमान और निकोबार	0		0
लक्षद्वीप	0		0
कर्नाटक	287580	1200	288780
बिहार	627610	90541	718151
पश्चिम बंगाल	765055	31000	796055
सिक्किम	0		0
उड़ीसा	289735	22357	312092
झारखंड	311670	7709	319379
असम	540030	17830	557860
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
मेघालय	0	0	0
त्रिपुरा	0	0	0
मिजोरम	25810	0	25810
नगालैंड	0	0	0
मणिपुर	0	0	0
महाराष्ट्र	411270	34649	445919
गोवा	0	0	0
मध्य प्रदेश	453119	25415	478534
छत्तीसगढ	90110	36435	126545
गुजरात	441920	9283	451203
दमन और दीव	0	0	0
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0
कुल	**9415154**	**726446**	**10141600**

आरक्षित मूल्य

क्र. सं.	गेहूँ की किस्म	आरक्षित मूल्य (26 जनवरी, 2023 से)
1	एफएक्यू	आरएमएस 2023-24 सहित सभी फसलों के एफएक्यू गेहूं के लिए 2350 रुपये/क्विंटल
2	यूआरएस	आरएमएस 2023-24 सहित सभी फसलों के यूआरएस गेहूं के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल।

वर्ष 2023 की शेष अवधि के लिए खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू) {ओएमएसएस (डी)} के तहत आरक्षित मूल्य गेहूं (एफएक्यू) के लिए 2,150 रुपये प्रति क्विंटल (पैन इंडिया) और आरएमएस 2023-24 सहित सभी फसलों के गेहूं (यूआरएस) के लिए 2,125 रुपये प्रति क्विंटल (पैन इंडिया) निर्धारित किया गया है।

भारत आटा के लिए: भारत आटा योजना - चरण-I के तहत गेहूं की बिक्री 2150 रुपये प्रति क्विंटल।

लोक सभा में दिनांक 11.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2688 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-IIड.

वर्ष 2024-25 के दौरान ओएमएसएस (डी) के तहत गेहूं की बिक्री (आंकड़े टन में)				
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	**भारत आटा**	**ई–नीलामी द्वारा गेहूं**	**कुल**	**आरक्षित मूल्य**
दिल्ली	172278	5500	177778	1. दिनांक 09.07.2024 की नीति के अनुसार ओएमएसएस(डी) के तहत गेहूं की बिक्री के लिए - एफएक्यू के लिए 2325 रुपये प्रति क्विंटल यूआरएस के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल 2. भारत आटा योजना के तहत गेहूं की बिक्री-चरण-I 2150 रुपये प्रति क्विंटल (31.03.2024 तक) 2300 रुपये प्रति क्विंटल (30.06.2024 तक) 3. भारत आटा योजना के तहत गेहूं की बिक्री-चरण-II 2300 रुपये प्रति क्विंटल परिवहन लागत, जैसा लागू हो, आरक्षित मूल्य में जोड़ी जाएगी।
हरियाणा	113790	5000	118790	
हिमाचल प्रदेश	6600	1600	8200	
जम्मू एवं कश्मीर	26064	2500	28564	
पंजाब	44589	12500	57089	
राजस्थान	34102	5000	39102	
उत्तर प्रदेश	61542	14000	75542	
उत्तराखंड	33700	3000	36700	
बिहार	102631	5000	107631	
झारखंड	24591	3000	27591	
ओडिशा	31974	2000	33974	
पश्चिम बंगाल	28646	7000	35646	
गुजरात	4317	4920	9237	
महाराष्ट्र	14901	4730	19631	
मध्य प्रदेश	16135	4000	20135	
छतीसगढ	52102	1000	53102	
आंध्र प्रदेश	8175	730	8905	
तेलंगाना	10282	1500	11782	
केरल	0	1500	1500	
कर्नाटक	1188	4870	6058	
तमिलनाडु	600	2580	3180	
असम	20320	6500	26820	
एनईएफ	0	390	390	
कुल	808527	98820	907347	

लोक सभा में दिनांक 11.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2688 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-IIIक

वर्ष 2020-21 के दौरान ओएमएसएस (डी) के तहत चावल की बिक्री (आंकड़े टन में)					
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	थोक ख़रीदार	राज्य सरकार	कुल	आरक्षित मूल्य
1.	दिल्ली	16000	9878	25878	थोक उपभोक्ताओं के लिए आरक्षित मूल्य 2250 रुपये प्रति क्विंटल और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के लिए 2000 रुपये प्रति क्विंटल था।
2.	पंजाब	0	385	385	
3.	उत्तर प्रदेश	0	55	55	
4.	राजस्थान	600	0	600	
5.	जम्मू और कश्मीर	0	64393	64393	
6.	तमिलनाडु	0	880000	880000	
7.	लक्षद्वीप	0	750	750	
8.	केरल	0	95730	95730	
9.	आंध्र प्रदेश	0	370000	370000	
10.	तेलंगाना	0	714210	714210	
11.	अंडमान एवं निकोबार	0	155	155	
12.	कर्नाटक	130	196017	196147	
13.	पश्चिम बंगाल	0	12543	12543	
14.	सिक्किम	0	1983	1983	
15.	झारखंड	0	25436	25436	
16.	असम	16980	41341	58321	
17.	अरुणाचल प्रदेश	0	2538	2538	
18.	मेघालय	0	11727	11727	
19.	त्रिपुरा	0	5	5	
20.	मिजोरम	0	8502	8502	
21.	मणिपुर	0	12173	12173	
22.	महाराष्ट्र	0	8938	8938	
23.	गोवा	2420	2100	4520	
24.	गुजरात	4800	0	4800	
कुल		**40930**	**2458859**	**2499789**	

लोक सभा में दिनांक 11.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2688 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-III ख

वर्ष 2021-22 के दौरान ओएमएसएस (डी) के तहत चावल की बिक्री (आंकड़े टन में)					
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य सरकार		थोक		
	ई-नीलामी	बिना ई-नीलामी	ई-नीलामी	कुल	आरक्षित मूल्य
दिल्ली	0	4152	0	4152	थोक उपभोक्ताओं के लिए आरक्षित मूल्य 2200 रुपये प्रति क्विंटल और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के लिए 2000 रुपये प्रति क्विंटल था।
चंडीगढ़	0	0	0	0	
पंजाब	0	0	0	0	
हरियाणा	0	0	0	0	
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	
उत्तराखंड	0	0	0	0	
राजस्थान	0	0	0	0	
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	
जम्मू और कश्मीर	50690	36381	0	87071	
तमिलनाडु	672000	30	0	672030	
पुदुचेरी	0	0	0	0	
केरल	0	80000	0	80000	
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	
तेलंगाना	0	0	0	0	
अंडमान एवं निकोबार	0	11	0	11	
लक्षद्वीप	0	0	0	0	
कर्नाटक	24280	52862	0	77142	
बिहार	0	0	0	0	
पश्चिम बंगाल	0	9625	0	9625	
सिक्किम	0	0	0	0	
उड़ीसा	0	0	0	0	
झारखंड	63510	0	0	63510	
असम	0	954	0	954	
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	
मेघालय	0	0	0	0	
त्रिपुरा	0	0	0	0	
मिजोरम	0	12570	0	12570	
नगालैंड	0	0	0	0	
मणिपुर	0	335	0	335	
महाराष्ट्र	0	168	0	168	
गोवा	0	0	1360	1360	
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	
गुजरात	0	473	0	473	
दमन और दीव	0	0	0	0	
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	
कुल	**810480**	**197561**	**1360**	**1009401**	

लोक सभा में दिनांक 11.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2688 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-IIIग

वर्ष 2022-23 के दौरान ओएमएसएस (डी) के तहत चावल की बिक्री (आंकड़े टन में)					
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य सरकार		थोक		
	ई-नीलामी	बिना ई-नीलामी	ई-नीलामी	कुल	आरक्षित मूल्य
दिल्ली	0	0	0	0	थोक उपभोक्ताओं के लिए आरक्षित मूल्य 2250 रुपये प्रति क्विंटल और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के लिए 2000 रुपये प्रति क्विंटल था।
चंडीगढ़	0	0	0	0	
पंजाब	0	0	0	0	
हरियाणा	0	0	0	0	
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	
उत्तराखंड	0	0	0	0	
राजस्थान	0	0	0	0	
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	
जम्मू और कश्मीर	0	16497	0	16497	
तमिलनाडु	50000	0	0	50000	
पुदुचेरी	0	0	0	0	
केरल	0	0	0	0	
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	
तेलंगाना	0	0	0	0	
अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	0	
लक्षद्वीप	0	0	0	0	
कर्नाटक	0	150361	0	150361	
बिहार	0	0	0	0	
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	
सिक्किम	0	0	0	0	
उड़ीसा	0	0	0	0	
झारखंड	31680	0	0	31680	
असम	0	16212	0	16212	
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	
मेघालय	0	0	0	0	
त्रिपुरा	0	0	0	0	
मिजोरम	0	0	0	0	
नगालैंड	0	0	0	0	
मणिपुर	0	0	0	0	
महाराष्ट्र	0	0	0	0	
गोवा	0	0	250	250	
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	
गुजरात	0	0	0	0	
दमन और दीव	0	0	0	0	
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	
कुल	81680	183070	250	265000	

लोक सभा में दिनांक 11.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2688 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-IIघ

वर्ष 2023-24 के दौरान ओएमएसएस (डी) के तहत चावल की बिक्री (आंकड़े टन में)					
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य सरकार थोक बिना ई-नीलामी	ई-नीलामी	भारत चावल	कुल	आरक्षित मूल्य
दिल्ली	0	6506	7624	14130	थोक उपभोक्ताओं के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल भारत ब्रांड योजना के तहत चावल की बिक्री- चरण I- 2400/क्विंटल।
चंडीगढ़	0	0	0	0	
पंजाब	0	1520	98377	99897	
हरियाणा	0	0	52038	52038	
उत्तर प्रदेश	0	10	49052	49062	
उत्तराखंड	0	0	210	210	
राजस्थान	0	3250	365	3615	
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	
जम्मू और कश्मीर	70429.67	10784	1150	82363.67	
तमिलनाडु	0	15850	11465	27315	
पुदुचेरी	0	0	0	0	
केरल	1995	2730	5000	9725	
आंध्र प्रदेश	0	980	4786	5766	
तेलंगाना	0	0	1645	1645	
अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	0	
लक्षद्वीप	0	0	0	0	
कर्नाटक	0	17650	44047	61697	
बिहार	2831	20330	17658	40819	
पश्चिम बंगाल	0	14810	2600	17410	
सिक्किम	0	0	0	0	
उड़ीसा	0	280	10611	10891	
झारखंड	0	19930	3550	23480	
असम	1674	48857	11060	61591	
अरुणाचल प्रदेश	0	2250	0	2250	
मेघालय	0	0	0	0	
त्रिपुरा	0	0	0	0	
मिजोरम	18483	18382	0	36865	
नगालैंड	0	0	0	0	
मणिपुर	570	0	0	570	
महाराष्ट्र	0	1210	27228	28438	
गोवा	0	0	0	0	
मध्य प्रदेश	0	1	1879	1880	
छत्तीसगढ	0	1211	1508	2719	
गुजरात	0	4699	6253	10952	
दमन और दीव	0	0	0	0	
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	
कुल	95982.67	191240	358106	645328.67	

लोक सभा में दिनांक 11.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2688 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-IIIड.

वर्ष 2024-25 के दौरान ओएमएसएस (डी) के तहत चावल की बिक्री (आंकड़े टन में)					
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	थोक	राज्य सरकार	भारत चावल	कुल	आरक्षित मूल्य
दिल्ली	197150	0	1773	198923.00	ओएमएसएस (डी) के तहत चावल की बिक्री के लिए- 2800/क्विंटल। भारत चावल योजना- चरण II के तहत चावल की बिक्री- 2400/क्विंटल। परिवहन लागत, जैसा लागू हो, आरक्षित मूल्य में जोड़ी जाएगी।
चंडीगढ़	0	0	0	0.00	
पंजाब	0	0	234213	234213.00	
हरियाणा	0	0	317688	317688.00	
उत्तर प्रदेश	40883	0	80907	121790.00	
उत्तराखंड	0	0	13622	13622.00	
राजस्थान	5584	0	0	5584.00	
हिमाचल प्रदेश	14630	0	0	14630.00	
जम्मू और कश्मीर	21457	67521	1917	90895.00	
तमिलनाडु	0	140168	61859	202027.00	
पुदुचेरी	0	0	0	0.00	
केरल	10263	0	7270	17533.00	
आंध्र प्रदेश	0	0	8827	8827.00	
तेलंगाना	0	0	21282	21282.00	
अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	0.00	
लक्षद्वीप	0	0	0	0.00	
कर्नाटक	147962	5462	69990	223414.00	
बिहार	1454	0	57929	59383.00	
पश्चिम बंगाल	12910	0	11849	24759.00	
सिक्किम	0	0	0	0.00	
उड़ीसा	0	0	30717	30717.00	
झारखंड	3357	5466	7316	16139.00	
असम	23570	8550	35809	67929.46	
अरुणाचल प्रदेश	459	0	0	459.00	
मेघालय	0	0	0	0.00	
त्रिपुरा	0	0	0	0.00	
मिजोरम	12592	9069	0	21661.00	
नगालैंड	1002	0	0	1002.00	
मणिपुर	350	4605	0	4955.00	
महाराष्ट्र	251	0	60117	60368.00	
गोवा	100	0	0	100.00	
मध्य प्रदेश	0	0	5863	5863.00	
छत्तीसगढ़	0	0	73277	73277.00	
गुजरात	51140	8194	6949	66283.00	
दमन और दीव	0	0	0	0.00	
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0.00	
कुल	**545114**	**249035**	**1109174**	**1903323.46**	

*****